349

20रु. Rs.20
COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी-3246/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

प्र. क्र.

श्री आर० एस० शर्मा
द्वारा आज दि. 28-5-18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 28-5-18

28-5-18

1. लक्ष्मी प्रसाद तनय हल्के ब्राहम्णा

2. नारायण दास तनय हल्के ब्राहम्णा

3. महिला बेनी बाई पुत्री हल्के ब्राहम्णा

समस्त निवासीगण ग्राम भेलसी तहसील बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़ म.प्र. --- आवेदकगण

बनाम

1. नाथूराम तनय हल्के ब्राहम्णा

2. गनेश प्रसाद तनय हल्के ब्रहम्णा

निवासी ग्राम भेलसी तहसील बल्देवगढ़ जिला

3. म.प्र. शासन जरिये तहसीलदार खरगापुर टीकमगढ़ --- अनावेदकगण

28-5-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि. 2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.4.18 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार खरगापुर प्र. क्र. अ 6 - अ 2017 - 18 आवेदक नाथूराम विरूद्ध लक्ष्मीनाराण के निर्णय से दुखी होकर एवं अवमानना अधिनियम 1971 धारा 10 और 12 .

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, पूर्व में प्रकरण में वर्णित सर्वे नम्बरान के सम्बंध में आवदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर सम्भाग के आदेश दि. 3.4.2018 प्र. क्र. 1256/अ 16-17 अपील के विरूद्ध निगरानी आवेदकगण द्वारा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसमें श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनाक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3246/2018/टीकमगढ़/भू.रा. लक्ष्मीप्रसाद विरूद्ध नाथूराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा एवं शासकीय अभिभाषक श्री योगेश पाराशर उपस्थित ।	
	3. आवेदक अभिभाषक के द्वारा राजस्व मंडल में दिनांक 04-06-2018 को आवेदन देकर तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 171/अ-6-अ/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 10-04-2018 (10 का अंक काट-छाट Overwrite करके प्रतीत होता है। तहसीलदार के हस्ताक्षर दिनांक 07-04-2018 में अंकित है ।) के संबंध में निगरानी प्रस्तुत कर अवगत कराया कि तहसीलदार के द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 03-05-2018 का पालन नहीं किया जा रहा है । जो इस न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है ।	
	4. मेरे द्वारा इस न्यायालय की नस्ती एवं नायब तहसीलदार के प्रकरण में प्रचलित आदेश पंजिकाओं का अवलोकन किया गया ।	
	5. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने अपर आयुक्त सागर संभाग के प्रकरण क्रमांक 1256/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 03-04-2018 का पालन करने हेतु तहसीलदार खरगापुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 171/अ-6-अ/2017-18 में दिनांक 10-04-2018 (10 का अंक काट-छाट Overwrite करके प्रतीत होता है। तहसीलदार के हस्ताक्षर दिनांक 07-04-2018 में अंकित है ।) को अपर आयुक्त के आदेश के अनुक्रम में नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया ।	
09/01/19	6. आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 03-04-2018 के विरूद्ध राजस्व मंडल में दिनांक 17-04-2018 को निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर दिनांक 03-05-2018 को इस न्यायालय	

के द्वारा अपर आयुक्त के आदेश पर स्थगन जारी किया गया था ।

7. तहसीलदार खरगापुर के द्वारा अपनी आदेश पंजिका दिनांक 11-06-2018 से इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 2460/2018 में पारित स्थगन आदेश का क्रियान्वयन दिनांक 11-06-2018 की आदेश पंजिका से कराया गया है ।

8. उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार खरगापुर के द्वारा इस न्यायालय के किसी भी आदेश का उल्लंघन न्यायालयीन के अभिलेख के आधार पर नहीं किया गया है ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य